



# OPERATION CONVICTION



जनपद रामपुर

प्रेस नोट:-

“श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा ०१ अभियुक्त व ०१ अभियुक्ता को १०-१० वर्ष का सश्रम कारावास एवं ११ हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

## अपराध का विवरण:-

अवगत कराना हैं कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री से दहेज की मांग करना, प्रताडित करना व जान से मारने की नियत से मिट्टी का तेल छिडक कर आग लगाकर जलाने तथा वादी के पति द्वारा तीन तलाक देने के संबंध में दिनांक ०९.०२.२०२० को थाना अजीमनगर पर मु०अ०सं०- २८/२० धारा- ३०४८, ४९८८ भादवि व ३/४ डीपी एक्ट बनाम १. मौ० आरिफ पुत्र बन्ने २. हनीफा पत्नी बन्ने निवासीगण ग्राम दौकपुरी टाण्डा थाना अजीमनगर, रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक- २१.१०.२०२४ को मा० आरिफ पुत्र बन्ने २. हनीफा पत्नी बन्ने उपरोक्त को १०-१० वर्ष का सश्रम कारावास एवं ११ हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

## सजा का विवरण:-

अभि० १. मौ० आरिफ पुत्र बन्ने २. हनीफा पत्नी बन्ने निवासीगण ग्राम दौकपुरी टाण्डा थाना अजीमनगर, रामपुर को १०-१० वर्ष का सश्रम कारावास एवं ११ हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@rampurpolice

7839859826